संख्या-184/40-2025/001-27-75-84टी0सी0-11,

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 19 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को अनुदान की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-849/एकीकरण/2025-26, दिनांक 18-07-2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया, मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को मौलाना आजाद साहित्य से सम्बन्धित उर्दू, वाचनालय, प्रालेख्य केन्द्र की स्थापना, धर्म निरपेक्षता पर आधारित शिक्षण के लिए ठोस प्रयास करने, विचार गोष्ठियों का आयोजन करने आदि कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में रूपये 7,50,000/(रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दि0 27 मार्च, 2025 में निहित व्यवस्था के अनुसार अनुदान के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं;-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग की अधिसूचना संख्या-822/चालीस-14-27(75)/84, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्गत नियमावली में उल्लिखित उद्देश्य एवं प्रयोजनों के लिये ही किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अकादमी नियमावली में उल्लिखित अनुदान की शर्तो का पालन कर रही है। इस हेतु वित्त विभाग के संगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(2) मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को स्वीकृत अनुदान का भुगतान जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन उद्देश्यों के लिए उक्त संस्था को स्थापित किया गया है उनकी पूर्ति हो।

(3) संस्था को स्वीकृत की जा रही धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ कोषागार से आहरित करेंगे तथा संस्था को धनराशि भुगतान करने से पूर्व संस्था से इस आशय का पमाण-पत्र प्राप्त करेंगे कि संस्था द्वारा उसी प्रयोजन हेतु आलोच्य वर्ष में किसी अन्य सरकारी विभाग आदि से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है, और न ही प्राप्त करेगी।

(4) धनराशि आहरण के उपरान्त कोषागार से धनराशि निकालने की वाउचर संख्या व दिनांक तथा संस्था को भुगतान किए जाने की तिथि से शासन को यथासमय अवगत कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी धनराशि 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 053 लेखा शीर्षक 2070008000300 मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025- 231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 10-08-2025
11:47:49

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या- 1841(1)/40-2025/001-27-75-84टी0सी0-II, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- कोषाधिकारी, लखनऊ ।

3- महालेखाकार (लेखा'-परीक्षा) -1, उ0प्र0, प्रयागराज, स्वा0 नि0, 2(सी) अनुभाग।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1

6- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ।

7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद/ लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अनुदान से सम्बन्धित लेखों का नियमानुसार आडिट कराकर आडिट रिपोर्ट की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8- सचिव, मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, औरंगाबाद, खालसा, बिजनौर रोड, पोस्ट-बिजनौर, लखनऊ-2

9- बजट सहायक, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner